

तारीख हुक्म

प्रार्थना पत्र

मु. न-67/2014

21-2-22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र को वकील वादीगण ने पक्षकारान् के मध्य आपस में समझौता हो जाने से विद्वा कर खारिज करवा लिये जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
दिनांक 3-3-22 को पेश हो।

(Signature)

3-3-22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र को वकील वादीगण ने पक्षकारान् के मध्य आपस में समझौता हो जाने से विद्वा कर खारिज करवा लिये जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
दिनांक 11-4-22 को पेश हो।

(Signature)

11.04.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र को वकील वादीगण ने पक्षकारान् के मध्य आपस में समझौता हो जाने से विद्वा कर खारिज करवा लिये जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(Signature)

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

